

दिनांक

हुकम या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

पत्रा या सारंगत
अन्तर्गत जो इय
बतत की सारंगत
में जारी है

26/6/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठस्थीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली सांशिक आदेश दिनांक 11/7/25 को पेश हो।

[Signature]
अधीक्षक कलक्टर

4/7/25

पत्रावली पेश हुई। वादी आदि: उषा-1) आक्षेपवादी अनु: 1) वादी अनुपादित) वादी की आक्षेपवादी पेश करने हेतु प्रदत्त अवसर दिने जाने के बावजूद की वादी द्वारा अपने वादपत्र को सिद्ध करने हेतु आक्षेपवादी पेश नहीं किया वाला) वादी द्वारा अपने वादपत्र को सिद्ध करने हेतु आक्षेपवादी पेश नहीं करते हैं। वादी असफल रहा है जिससे वादी द्वारा उद्घृत वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान कायदाकारी प्राधिक्रियम की वादी आक्षेपवादी करने में असमर्थ रहा है।

अतः वादी द्वारा उद्घृत वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान कायदाकारी प्राधिक्रियम की वादी आक्षेपवादी पेश नहीं करते हैं असफल रहने के कारण खारिज किया जाया है।

निर्णय करे उपलब्ध मुनाफा गाना) पीछे पचा जारी हो। पत्रावली मौसल शुमार लेका कार्यालय दफ्तर ही तथा नम्बर से कम हो।

[Signature]
21/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. नारायण पिता श्रीकिशन जी जाट उम्र वयस्क निवासी भोपालगढ़ तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

—वादी

बनाम

1. रतनसिंह पिता नंदसिंह जी राजपुत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सुल्तानसिंह पिता नंदसिंह जी राजपुत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. भैरूसिंह पिता नंदसिंह जी राजपुत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. शिवसिंह पिता माधुसिंह जी राजपुत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. जगदीशसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपुत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. सम्पतसिंह पिता देवीसिंह जी राजपुत उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. लादू पिता छीतर जाट उम्र वयस्क निवासी ढोलिया खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

कब्जेयाबी आरायिजात एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत

प्रकरण संख्या 07/2021 राजस्व वाद

वादी अनुपस्थित एवं वादी अधिवक्ता श्री भैरू लाल बापना उपस्थित — इस वाद में आज तारीख 01.07.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वादी साक्ष्यवादी पेश करने में असफल रहने के कारण खारिज किया जाता है।

(अरूण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा